न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 48 / 2022
दायर दिनांक : 06 / 10 / 2022
निर्णय दिनांक : 18 / 11 / 2024

उनवान

1. लालदास पिता कनीरामदास बैरागी निवासी गुजरों की भागल तहसील भूपालसागर
2. गोपीबाई पुत्री कनीरामदास बैरागी निवासी गुजरों की भागल तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. डालूदास पिता कनीरामदास बैरागी निवासी गुजरों की भागल तहसील भूपालसागर
2. प्रेमदास पिता कनीरामदास बैरागी निवासी गुजरों की भागल तहसील भूपालसागर
3. मोहनदास पिता कनीरामदास बैरागी निवासी गुजरों की भागल तहसील भूपालसागर
4. देवेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह राणावत निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
5. तहसीलदार, भूपालसागर
6. उपपंजीयक, भूपालसागर
7. पटवारी, पटवार हल्का, कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री शंकरलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि ग्राम गुजरों की भागल पटवार हल्का कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में आ.सं. 423 रकबा 0.18 है., आ.सं 424 रकबा 0.25 है. किता 2 रकबा 0.43 है. स्थित है। उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण ने जैर बहस आराजियात का विभाजन कराने हेतु वादपत्र पेश कर दिया है। उक्त आराजियात का जब तक बंटवारा न हो तक तक अप्रार्थीगण नं. 1 से 4 तक जैरबहस आराजियातमे अनाधिकार कब्जा नहीं करे, न कोई संयुक्त कब्जा [illegible] में दस्त[illegible] तथा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करावें एवं अप्रार्थीगण नं. 5, 7 [illegible] बहस आराजियात के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा अप्रार्थी सं. 6 जैर[illegible] आराजियात बाबत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे। इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिये [illegible] से पाबन्द कराना फरमावें। अतः पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण जैरबहस आराजी में किसी प्रकार दखलअन्दाजी नहीं करें [illegible] बुर्द नहीं करें व राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे न किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:55:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 4 को जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 22.07.24 को जवाब बंद किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 आंशिक स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:55:20 IST
Reason: SelfAttested